

तारीख
दूरगम

दूरगम या कार्यवाही मय इतिहास/वृत्त लेख

14/3/22
पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य
स्थगन/ P.O. सा० राज्या में अस्त
होने से कारणल तारीख पेश गई गत
आदेश की पासना में दिनांक 7/2/22
को पेश हो।

हस्ताक्षर रीडर

7.9.22

पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य
स्थगन/ P.O. सा० राज्या में अस्त
होने से कारणल तारीख पेश गई गत
आदेश की पासना में दिनांक 7/2/22
को पेश हो।

हस्ताक्षर रीडर

9/3/22

पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य
स्थगन/ P.O. सा० राज्या में अस्त
होने से कारणल तारीख पेश गई गत
आदेश की पासना में दिनांक 21/2/22
को पेश हो।

हस्ताक्षर रीडर

12/3/22

पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य
स्थगन/ P.O. सा० राज्या में अस्त
होने से कारणल तारीख पेश गई गत
आदेश की पासना में दिनांक 21/2/22
को पेश हो।

हस्ताक्षर रीडर

21/3/22

पत्रावली पेश हुई। वकील कपीलानी उपस्थित।
अपीलान्ती द्वारा अपील विरुद्ध रेस्पॉन्डेंट का बट
नामान्तकरण सं. 84 दिनांक: 5-10-2010 ग्राम-
पीपली का वास ग्राम पंचायत कोलाना तहसील
जिला- दौसा पेश किया कि भूमि खाल सेवा
नया-20 पुराना-20 कुल कित-20 कुल रकम
5-72 हे० वाले ग्राम पीपली का वास सटवार हलका
कोलाना तहसील जिला- दौसा में स्थित है।



FORM No. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

बांटीकुई

कलेक्टर
 शांतिपुरी
 कानून विस्तार कार्यालय

मुकाम
 बलाम
 शांतिपुरी कौलांग

सं. 2020
 दि. 13/2020

दुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस दुकम की तामील में जारी हुए
<p>जिसे राजस्व जमाकेट में अपीलान्ती एवं रेस्पोंडेंट सं. 2 लख 4 का सम्मिलित में 1/7 हिस्सा प प्रक-प्रक 1/28 - 1/28 हिस्सा का इंडाण क्वैर काब्तकार इर्न है अपीलान्ती का नाम राजस्व आगिलेख में शांतिपुरी के स्थान पर शोमती दर्ज हो रघ हो गया वके नामा अपीलान्ती का कास प्रकार हल्का कौलांग तह. वयवा जिला- दौला स्थित ग्रामि खाल में नया पुयना-21 कुल डिग-1 कुल रुकबा 0-2 हेक्टर के राजस्व आगिलेख में अपीलान्ती एवं रेस्पोंडेंट सं. 2 लख 4 का सम्मिलित में 1/7 हिस्सा . प्रक-प्रक 1/28 - 1/28 हिस्सा का क्वैर काब्तकार इंडाण दर्ज है अपीलान्ती का नाम राजस्व आगिलेख में शांतिपुरी के स्थान पर शोमती दर्ज हो रघ हो इकर वर्जित ग्रामि अपीलान्ती एवं रेस्पोंडेंट सं. 3 व 4 के पिता व रेस्पोंडेंट सं. 2 के परि प्रक प्रमस्वरूप के नाम दर्ज ज्वारेरी वी शक्ति रही है जो अपीलान्ती एवं रेस्पोंडेंट सं. 2 लख 4 का विसत में जात ग्रामि रही है अपीलान्ती के पिता राजस्वरूप पुत्र श्री किमव की मृत्यु के पश्चात रेस्पोंडेंट संख्या-1 ग्राम पंचायत कौलांग के ग्राम नामान्तरण सं. 84 दिनांक: 5-10-2010</p>	

अधिकारी
 बांटीकुई

तारीख
दुकम

दुकम या कार्यवाही मय इन्विशियल्स जज

स्वीकृत हुआ था। निम्नलिखित अपीलान्त का नाम
 सावित्री के स्थान पर हका पटवारी द्वारा नाम-
 न्तकरण पत्र में शोभाती दर्ज कर दिया गया
 जबकि अपीलान्त का रिकार्ड नाम सावित्री है
 अपीलान्त का सभी सरकारी, गैर सरकारी इला-
 केफाट बैंक पास बुक, जन्मकार्ड, कार्ड पटवारी
 पत्र, वोटर लिस्ट, बच्चों के अडमिशन डस्तामेंट
 में नाम सावित्री दर्ज है जबकि विद्यमान के
 नामान्तरण में उचित सिद्ध में अपीलान्त का
 नाम सखन से शोभाती दर्ज कर दिया गया है
 अपीलान्त की स्वीकृत एवं विद्यमान पटवारी
 सावित्री के नाम से रही है ग्राम पंचायत
 कोलाण के पटवारी सखन द्वारा जारी लैटर फॉर
 पुरान पत्र पर अपीलान्त का नाम सावित्री तथा
 पितृ हस्त रामस्वरूप सुपर तथा अन्य स्थान
 ग्राम-पीपली की पास लैटर किया हुआ है
 उर: अपील अपीलान्त स्वीकार प्रस्ताव जाकर
 मूल नामान्तरण संख्या - 84 दि 05/10/10
 में अपीलान्त के रिकार्ड नाम सावित्री के स्थान
 पर शोभाती के रिकार्ड को हटा कर सावित्री के नाम
 अपीलान्त का नाम सावित्री पुत्री रामस्वरूप एवं
 प्रमान की हटा करे। गैर में अपील अपीलान्त
 के नाम नामान्तरण सत्यप्रतिपि, जमाबंदी चक्र-
 0014-71 ग्राम पीपली की पास, ग्राम पंचायत कोलाण
 सखन द्वारा जारी लैटर बंड, बैंक पास बुक, परिवार
 सखन कार्ड, वोटर पटवारी पत्र, जन्मकार्ड, जन्म
 कार्ड की उरि पत्र की।

अपील अपीलान्त पत्र दर्ज कर लक्ष्मी
 रेसिडेंट जज कोर्ट की गयी। रेसिडेंट - 1 की
 कोर्ट के उरि नवीन हुआ सुपर उरि कोर्ट। रेसिडेंट
 2 ल 4 की उरि उरि अपील अपीलान्त के

उपरखण्ड अधिकारी (1) लक्ष्मीनगर बसवा, पटवारी हका कोलाण व
 बांदीकुई

द्वयम या कार्यवाही मय इमिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
द्वयम की तामील
में जारी हुए

२००० क्र० नि० कोलना की रिपोर्ट दि० ३-१२-२१
जुद्ध हुई। जज मोंका रिपोर्ट के अनुसार जर्मी के
पिसा फौत होने पर नामा० सं० ८५ क्रि० वि० मय
एच० हुका एवं जर्मी का नाम सोमती दर्ज हुआ।
जमाबंदी लेवट-२०१५-१७ में भी सोमती पुत्री
प्राप्तकरूप ही दर्ज है मगम काम में जायकप
पर एवं संलग्न दस्तावेजों के आधार पर पता
चला कि जर्मी का नाम सोमती ही है एतः
संलग्न दस्तावेजों एवं उपाभित व्यक्तियों के आधार
पर जर्मी का नाम सोमती के स्थान पर सोमिनी
डिजा जाना उचित होगा।

इसने अपील अपीलान्ती वकील को हुवा।

अपील ज्ञानप्र वर्जित एचम का संलग्न दस्तावेज
नामान्तरण, सजय ज्ञानराज, मोंका रिपोर्ट एचम
वसवा, पटवारी हका कोलना, भू० अ० नि० कोलना
का आवलोकन किया। जिसके अनुसार अपीलान्ती
का नाम सोमती के स्थान पर सोमिनी होना
सुकर है जबकि अपीलान्ती नामान्तरण में
अपीलान्त का नाम सोमिनी के स्थान पर सोमती
दर्ज कर दिया गया है।

उपरोक्त विवेचन से अपीलान्ती

अपील खीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है
एतः आदेश है कि अपील अपीलान्ती विरुद्ध
रेस्पॉण्डेंट नामान्तरण सं० ८५ दि० सं० १५-१०-२०१०
ग्राम-पीपली का वास ग्राम पंचायत कोलना
तह-वसवा जिला-सैत खीकार की जाकर
अपीलान्ती नामान्तरण निरस्त किया जाय है।
एथा एचमिनादर वसवा को इस निर्देश के साथ
हिमाज किया जाय है कि अपीलान्ती अन्तर्गत
नामान्तरण मूलक समस्वरूप की विसत की विधिगत

जाय कर पुनः अविलंब निस्तारण करें। एचमिनादर
पण्ड अधिकारी
वादीकुई

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख
हुकम

कसका के निबले खरि के उदरि जारी हो।
प्रकरण हुसमगुमार होकर वाउ तकनीय आविष्कार
होला हो।

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Reader Sign

2



न्यायालय श्रीम...

13
2020

111 साधिका देवी आयु 3

जाति गुर्जर निवाती

हाल नि० ग्राम ना

112 गृ म पंचायत क

113 तोफली बेवा र

बात कौलाना

114 रमीता पत्नि

निवाती पीप

115 गुडडी पत्नि

पीपली का बा

अपील

5/10/

कौलाना
(नाम) ...